राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एंव पंचायतीराज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/पार्ट–।।।/2010 जयपुर, दिनांक 4 APR 2011

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय :– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत सहायक, ग्राम रोजगार सहायक तथा डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के मासिक मानदेय में वृद्धि के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 15.03.2011 को राजस्थान विधान सभा में की गई घोषणा अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कार्यरत सहायक का मानदेय 3510/– रूपये, ग्राम रोजगार सहायक का मानदेय 4030/– रूपये एवं डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का मानदेय 5330/– रूपये प्रति माह निर्धारित किया जाता है। यह वृद्धि इनको देय 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि से अधिक होने के कारण इनको इस वर्ष 10 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय नहीं होगी। यह मानदेय वृद्धि दिनांक 01.04.2011 से लागू होगी।

भवदीय

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ :–
1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस।
5. मुख्य लेखाधिकारी, ईजीएस।
6. समस्त अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) जिला परिषद राजस्थान।
7. लेखाशाखा, ईजीएस।
8. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त द्वितीय, ईजीएस